संख्या- 1483/2026/1098/22-2-2026-17(476)/2026

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 30 अक्टूबर, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार आगरा में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी दलवीर पुत्र श्री जालिम सिंह, निवासी जनपद-अलीगढ की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0), कारागार के पत्र संख्या-20825/प्रो0अनु0(7)-फार्म-ए सीमित कारावास/15/2026(बै0 दि0 20.04.2026) दिनांक-26.05.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार आगरा में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी दलवीर पुत्र श्री जालिम सिंह, ग्राम-बहादुरपुर, थाना-जवा, जिला-अलीगढ का निवासी है। बन्दी द्वारा दिनांक 29.10.2010 को 03 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर वादी मुकदमा के भाई देवेन्द्र का अपहरण करने का अपराध कारित किया गया, जिसके जीवित अथवा मृत शरीर के सम्बन्ध में आज तक कोई बरामदगी नहीं हुई है। उक्त अपराध हेतु सिद्धदोष बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-410/2012 में धारा-364 आई०पी०सी० के अंतर्गत मा० न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-17 अलीगढ़, के आदेश दिनांक 16.12.2021 द्वारा 10 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष लम्बित है। बन्दी द्वारा दिनांक-08.10.2025 तक अपरिहार 04 वर्ष, 04 माह, 01 दिन तथा 05 वर्ष, 01 माह, 04 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोवेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी द्वारा मविष्य में अपराध करने की सम्भावना होने, बन्दी पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बन्दी को जेल में निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने एवं बंदी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा बंदी के समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दिनांक 29.10.2010 को अभियुक्त द्वारा 03 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर वादी मुकदमा के भाई देवेन्द्र का अपहरण करने का अपराध कारित किया गया जिसके जीवित अथवा मृत शरीर के सम्बन्ध में आज तक कोई बरामदगी नहीं हुई है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सम्यक् परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी दलवीर पुत्र श्री जालिम सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी।

5- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी दलवीर (बन्दी संख्या-19438) पुत्र श्री जालिम सिंह, निवासी जनपद-अलीगढ के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-1483/2026/1098(1)/22-2-2026 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक केन्द्रीय कारागार आगरा।
3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-1483/2026/1098/22-02-2026-17(476)/2026

दिनांक: 30 अक्टूबर, 2026 का संलग्नक

केन्द्रीय कारागार आगरा में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी दलवीर पुत्र श्री जालिम सिंह, ग्राम-बहादुरपुर, थाना-जवा, जिला-अलीगढ का निवासी है। बन्दी द्वारा दिनांक 29.10.2010 को 03 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर वादी मुकदमा के भाई देवेन्द्र का अपहरण करने का अपराध कारित किया गया, जिसके जीवित अथवा मृत शरीर के सम्बन्ध में आज तक कोई बरामदगी नहीं हुई है। उक्त अपराध हेतु सिद्धदोष बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-410/2012 में धारा-364 आई०पी०सी० के अंतर्गत मा० न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-17 अलीगढ़, के आदेश दिनांक 16.12.2021 द्वारा 10 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष लम्बित है। बन्दी द्वारा दिनांक-08.10.2025 तक अपरिहार 04 वर्ष, 04 माह, 01 दिन तथा 05 वर्ष, 01 माह, 04 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोवेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी द्वारा मविष्य में अपराध करने की सम्भावना होने, बन्दी पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बन्दी को जेल में निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने एवं बंदी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा बंदी के समय पूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दिनांक 29.10.2010 को अभियुक्त द्वारा 03 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर वादी मुकदमा के भाई देवेन्द्र का अपहरण करने का अपराध कारित किया गया जिसके जीवित अथवा मृत शरीर के सम्बन्ध में आज तक कोई बरामदगी नहीं हुई है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सम्यक् परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी दलवीर पुत्र श्री जालिम सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।